संख्या-22/2019/383/सैंतीस-2-2019-1(42)/2017

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक- 09 मार्च, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में बुन्देलखण्ड में "गोवंश वन्य विहार" की स्थापना योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-5802/सा0-2/एक्स11-569/2017-18, दिनांक-05.02.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड में "गोवंश वन्य विहार" की स्थापना के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपदों में कम से कम एक-एक "गोवंश वन्य विहार" की स्थापना किये जाने के लिए रू0-120.00 लाख प्रति केन्द्र की दर से कुल रू0-840.00 लाख (रूपये आठ करोड़ चालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित कर बुन्देलखण्ड में गोवंश वन्य विहार की स्थापना हेतु रू0-120.00 लाख की दर से बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों के सम्बन्धित जिलाधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) निर्विवाद रूप से भूमि की उपलब्धता होने के उपरान्त ही प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(3) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ/सम्बन्धित जिलाधिकारी व्यय के प्रस्तावों/आगणन आदि के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक-26.08.2014 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ/सम्बन्धित जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि गौशालाओं के चयन में किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(5) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के संबंध में पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-249/सैंतीस-2-2019-5(2)/2018टीसी, दिनांक-27.01.2019 में प्रस्तर-3 एवं शासनदेश संख्या-346/सैंतीस-2-2019-5(2)/2018टीसी, दिनांक 05.02.2019 में प्रस्तर-2 की व्यवस्थानुसार कार्यवाही संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(6) प्रस्तावित धनराशि से निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. शिड्यूल रेट से कराये जायेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(7) प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।

(8) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ/सम्बन्धित जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार व अन्य

किसी श्रोत से धनराशि अवमुक्त/स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। जिस कार्य/मद में धनराशि अवमुक्त की जा रही है वस्तुतः धनराशि का व्यय उसी मद/कार्य में ही किया जायेगा। मानक मद से इतर किया गया व्यय किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/संबंधित जिलाधिकारी व संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की होगी।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक-30.03.2018, दिनांक-26.08.2014 व दिनांक-06.06.1994 में दी गयी व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड में "गोवंश वन्य विहार" की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-यू.ओ.-238/दस-2019, दिनांक-07.03.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0- /2019/383(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. अध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।